न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बलिया
जी.आर.सं0 – 3054/09
राज्य बनाम रंजीत यादव

07/09/2020 अभियुक्त रंजीत यादव, शशीभूषण राउत की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता संजय कुमार आजाद के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से नवीन वकालतनामा साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। अभियोजन पदाधिकारी को भी आवेदन की प्रति व्हाट्स एप के द्वारा भेजा गया। आवेदन की सुनवाई हेतु दिनांक– 08/09/2020 को प्रस्तुत करें।

08/09/2020 दिनांक– 07/09/2020 को दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई आज नियत है। जमानत आवेदन को वीडियों कॉफ्रेसिंग के द्वारा प्रचालित किया गया। अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्तों निर्दोष है और आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया गया है। जिस तरह का मुकदमा किया है, मनगढंत एवं झूठा है। यह कि आवेदक के द्वारा बी.ए या ए.बी.ए इस वाद का आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में न ही अपर न्यायालय में दाखिल किया गया है। यह कि अभियुक्तों का यह प्रथम उपस्थिति है। यह कि वाद का धाराएं– 323, 504 भा0द0वि0 है, जो जमानतीय हैं। यह कि आवेदक गरीब आदमी है जो मजदूरी करने प्रदेश चला गया, पैरवीकार पर छोड़कर। यह कि वाद बेगूसराय न्यायालय से बलिया न्यायालय स्थानांतरित हो कर आया, जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं हो सका। यह कि वाद की जानकारी जैसे ही हुई स्वेच्छा से न्यायालय में आत्समर्पण किये। यह कि अभियुक्तों भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। यह कि पुलिस के द्वारा जमानत के लिए बार–बार दबाव बनाने पर कोविड–19 महामारी हो देखते हुए, अभियुक्तों न्यायालय में आत्मसमर्पण कर गए हैं। यह कि अभियुक्तों श्रीमान के द्वारा दिये गये निर्देशों को पालन करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

सुना, अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है। यह कि अभियुक्तों आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं। यह कि अभियुक्तों पर लिये गये संज्ञान में धाराएं– 323, 504 भा0द0वि0 हैं, जो कि जमानतीय हैं। यह कि अभियुक्तों का प्रथम उपस्थिति है। यह कि वाद का स्थानांतरण बेगूसराय न्यायालय से बलिया न्यायालय आया।

अतः तथ्य और परिस्थतियों को देखते हुए कोरोना महामारी एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए। अभियुक्तों को मो0 5,000 (पॉच हजार रूपया) के एक जमानतदारों का बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडा0, बलिया

तत्पश्चात्
08/09/2020 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त रंजीत यादव, शशीभूषण राउत से मांगे गए रकम का बंध–पत्र एवं वचन बद्धता दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर ..... किया जाता है।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडा0, बलिया